प्रेस नोट दिनांक-26.08.2020

(1). आज दिनाँक 26.08.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में प्रचिलत यूपी0 112 के कर्मियों को उनके द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों के लिये यूपी0 112 मुख्यालय से प्रदत्त प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। थाना कोतवाली कर्वी में संचालित पीआरवी 2030 में नियुक्त मुख्य आरक्षी छोटेलाल, मुख्य आरक्षी मनीष द्विवेदी, आरक्षी रज्जन शिवहरे, आरक्षी शमशाद, आरक्षी चालक राजीव कुमार, आरक्षी चालक शाहजहां, पीआरवी 2029 में नियुक्त आरक्षी नसीर, होमगार्ड चालक राधेश्याम, पीआरवी 4441 टू-व्हीलर में नियुक्त आरक्षी भूपेन्द्र सिंह, आरक्षी उत्तम सिंह आरक्षी अंकुश पाल, होमगार्ड सहदेव, होमगार्ड मुन्नीलाल, होमगार्ड रामकरन तथा पीआरवी 4441 टूव्हीलर में नियुक्त आरक्षी प्रशांत यादव होमगार्ड फूलहसन को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कर्मियों द्वारा अपनी डियूटी पर रहकर समय से इवेन्ट पर पहुंचकर पीडितों की मदद की है।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रकाश स्वरुप पाण्डेय, प्रभारी डायल 112 श्री राजशे कुमार सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री इम्तियाज अहमद चौकी शिवरामपुर तथा उनकी टीम द्वारा रेलवे क्रासिंग के पास भैसोंधा रोड से अभियुक्त रोहित पाण्डेय पुत्र श्यामसुन्दर पाण्डेय निवासी रसिन थाना भरतकूप चित्रकूट को 01 तमंचा व 02 कारतूस 315 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 443/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

01 अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 315 बोर

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>ः-

1. उ0नि0 श्री इम्तियाज अहमद चौकी शिवरामपुर
2. आरक्षी रणवीर सिंह

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(क). उ0नि0 श्री श्रीनिवास राय थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 87/2020 धारा 60/63 आबकारी व 272 भादवि0 के वांछित अभियुक्त शिवा यादव पुत्र रामनरेश निवासी बधौडा थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री श्रीनिवास राय थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी अखिलेश कुमार

(ख). श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैंया तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 97/20 धारा 498a/323/504 /506/342 भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के वांछित अभियुक्त रविकरण यादव पुत्र चुनबाद यादव निवासी पोखरी पुरवा सरैया को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैंया
2. आरक्षी विकास यादव

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 35 क्वार्टर देशी व 05 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी।

(i). श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मिथलेश जोशी पुत्र गंगाराम जोशी निवासी रामायण मेला चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को 35 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

35 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव
3. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
4. आरक्षी श्यामू कुशवाहा

(ii). उ0नि0 श्री संतराम मौर्य थाना मऊ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राजेश सिंह पुत्र अशर्फीलाल निवासी टिकरा थाना मऊ चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

05 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री संतराम मौर्य थाना मऊ
2. आरक्षी अंकित सचान

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निरीक्षक अपराध श्री सतीश कुमार पाण्डेय थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा दिनाँक-09.08.2020 को ग्राम सेसासुभकरा में हुई हत्या के नामजद अभियुक्त शिवमुनि मिश्रा पुत्र राधेश्याम निवासी तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनाँक-09.08.2020 को थाना मऊ अन्तर्गत ग्राम शिवपुर निवासी श्री संजय गौतम द्वारा सूचना दी गयी ग्राम सेसासुभकरा के पास स्थित फायर बिग्रेड के पास उसके भाई सुशील गौतम पुत्र भूपत गौतम निवासी शिवपुर की राधेश्याम मिश्रा आदि 07 नफर निवासीगण तिलौली थाना मऊ द्वारा मार-पीट कर हत्या कर दी गयी थी। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 168/2020 धारा 147/148/149/302 भादवि0 बनाम (1) राधेश्याम मिश्रा (2) बालकेश (3) विद्यासागर (4) लक्ष्मीनारायण पुत्रगण बालनाथ मिश्रा (5) गोलू मिश्रा पुत्र दीपनारायण (6) शिवमुनि पुत्र राधेश्याम (7) अश्विनी पुत्र बालकृष्ण निवासी तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ को अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक-26.08.2020 को निरीक्षक अपराध थाना मऊ द्वारा उपरोक्त घटना के नामजद अभियुक्त शिवमुनि मिश्रा पुत्र राधेश्याम निवासी तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक अपराध श्री सतीश कुमार पाण्डेय थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री धनन्जय राय
3. आरक्षी विवेक मिश्रा
4. आरक्षी अंकित सचान

(6). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2030 थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत दिनाँक 25/08/2020 को समय 20:37 बजे इवेंट संख्या 11521 द्वारा घटनास्थल सरकारी अस्पताल कुली तलैया थाना कोतवाली कर्वी से कॉलर हीरालाल द्वारा सूचना दी गयी कि उनका भाई उनके साथ मारपीट कर रहा है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को कॉलर ने बताया कि मेरा भाई विद्यासागर मारपीट कर रहा है और विवाद कर रहा है कॉलर की माँ ने बताया कि मेरा लड़का विद्यासागर कच्ची शराब बना कर बेचता है पीआरवी कर्मियों ने घटनास्थल से विद्यासागर को पकड़ लिया और घर मे उसके बताये स्थान पर खोजा गया तो एक 15 किलो के कनस्तर में कच्ची शराब बनाने के लिए महुआ फुलाया गया था।पीआरवी कर्मियों ने घटनास्थल से विद्यासागर को मय कनस्तर के लाकर थाना कोतवाली कर्वी में सुपुर्द किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर – मुख्य आरक्षी मनीष कुमार द्विवेदी

सब कमांडर – आरक्षी अब्दुल शमशाद

पायलट - आरक्षी राजीव कुमार

(7). आज दिनाँक 26.08.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपहृतों एवं गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री पंकज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी एवं उनकी टीम द्वारा हुयी बच्ची के माता-पिता को खोजकर बच्ची को परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को मण्डी गेड के पास घूमती हुयी एक बच्ची मिली जो रो रही थी। आस-पास बच्ची के माता-पिता को खोजा गया तो नहीं मिले, इसके पश्चात कर्वी में कई स्थानों में बच्ची के माता पिता को खोजा गया तो लगभग 02 घण्टे के बाद बच्ची के माता पिता मिले। बच्ची के पिता ने अपना नाम फौजी निवासी नाई हस्तम थाना गिरवां बांदा बताया तथा यह भी बताया कि वो कर्वी में अपनी ससुराल आया हुआ था, बच्ची सीमा खेलते-खेलते कहीं चली गयी थी। बच्ची को पाकर बच्ची के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी ने बच्ची सीमा के माता पिता को बच्ची का ध्यान रखने हेतु कहा गया।

बच्ची से माता पिता को मिलाने वाली टीमः-

1. श्री पंकज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी0
2. आरक्षी अनुज यादव
3. महिला आरक्षी संगीता